प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 14.06.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 14.06.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। महोदय द्वारा परेड के उपरान्त पुलिस लाइन्स परिसर में मेस, गणना कार्यालय, आमी बैरक आदि का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों व पुलिस चौकियों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी । शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का किया गया निरीक्षण

आज दिनांक 14.06.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का किया गया निरीक्षण। महिला आरक्षी बैरक व 5g टाइप बिल्डिंग निर्माण में प्रयुक्त हो रही निर्माण सामाग्री ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया व अन्य उपलब्ध सामानों के गुणवत्ता की बारीकी से जांचकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। सीमेंट, सरिया, अनुरुप रखने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जांचकर्ता अधिकारी को भवन निर्माण में पड़ने वाले बीम व कालम में कंक्रीट, बालू, सीमेंट, सरिया आदि निर्धारित मात्रा में प्रयुक्त कराने के लिये बताया गया व भवन निर्माण के निरीक्षण हेतु नामित अधिकारी को निरंतर निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर* प्रतिसार

निरीक्षक पुलिस लाइन संतकबीरनगर,पीआरओ *श्री जितेन्द्र यादव* व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 01 वारण्टी नाम पता चुनवा उर्फ चुन्ना पुत्र खदेरन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव मय हमराह।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण नाम पता 1- लालजी पुत्र सागर 2- राधेश्याम पुत्र सागर निवासीगण सिकरी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, का0 अंशुमान द्विवेदी, का0 सूर्यप्रताप यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 1,42,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 1,42,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा द्वारा मु0अ0सं0 430/2024

धारा 498ए/304ए भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर में वांछित अभियुक्तगण 1. इन्द्रजीत पुत्र राजाराम 2. राजाराम पुत्र मंगरु निवासीगण अइचाकाट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को ग्राम अइचाकाट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी शकुंतला देवी पत्नी गोविंद ग्राम देवलसा पोस्ट जीवधरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 07.06.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि उनकी लड़की बबिता की शादी इंद्रजीत पुत्र राजाराम ग्राम अईचाकाट पोस्ट चकदाही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के साथ किया था। दिनांक 06.06.2024 को दहेज की बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा जहर देकर वादिनी की पुत्री को मार दिया गया। जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 14.06.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी, का0 अंजेश कुमार गुप्ता।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा द्वारा मु0अ0सं0 442/2024 धारा 498ए/304ए भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर में वांछित अभियुक्त पन्नेलाल निषाद पुत्र स्व0 शिवशंकर निषाद निवासी ग्राम रानीपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को विधियानी तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 12.06.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना मिली कि ग्राम रानीपार में एक महिला शीला पत्नी पन्नेलाल निषाद निवासी ग्राम रानीपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था। जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्त की

गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 14.06.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सभाशंकर पाण्डेय, का0 गिरिजेश उपाध्याय।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के 01 अभियुक्त को 02 दिवस के साधारण कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज 14.06.2024 को ***न्यायालय – ए0सी0जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/1998 धारा 25 आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता शरीफ पुत्र गौस खां निवासी महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 02 दिवस(जेल में बिताई गई अवधि) के साधारण कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 20 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को उक्त दण्ड की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन, अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए सख्त दिशा-निर्देश

आज दिनांक 14.06.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम महोदय द्वारा सैनिक सम्मेलन कर जनपद के सभी थानों व शाखाओं से आये पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गयी व उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों तथा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देशित किया गया। आपरेशन कनविक्शन के तहत गम्भीर अपराधों, हत्या दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, लूट आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये। चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये साथ ही आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत अपने-अपने थानाक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिष्ठानों, गांवों आदि में लोगों से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा सड़क मार्ग को कवर करते हुए लगवाने हेतु बताया गया।

गोष्ठी के दौरान समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी सहित समस्त शाखा/कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल क्रियान्यवयन हेतु जनपद संतकबीरनगर के समस्त थानों के विवेचकों, कम्प्यूटर आपरेटरों व सीसीटीएनएस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

आज दिनांक 14.06.2024 को प्रथम फेज में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं लखनऊ के आदेश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरगर/नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस ***श्री शशि शेखर सिह*** के पर्यवेक्षण में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेन्टर संत कबीर नगर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल क्रियान्यवयन हेतु तकनीकी सेवाएं मुख्यालय से ट्रेनिंग प्राप्त करके आये मास्टर ट्रेनर्स क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात ***श्री केशवनाथ*** एवं DC अहमद रज़ा द्वारा जनपद के थानों पर नियुक्त विवेचकों एवं सीसीटीएनएस कर्मियों का ट्रेनिंग कराया गया। जिसमें जनपद के समस्त थानों के विवेचक, कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड ए एवं सीसीटीएनएस कर्मियों ने प्रतिभाग किया।